

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक- वा0क0अधि0/पूर्णपीठ/191/2023 दिनांक:- जनवरी,31,2023

-:आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन पूर्ण पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 01.03.2023 से 03.03.2023 तक पूर्ण पीठ का गठन किया जाता है।

गठित पूर्ण पीठ में श्री, राजीव रंजन न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 इलाहाबाद, श्री नवीन कुमार न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झाँसी तथा श्री विवेक कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाय।

ह0/ 31.01.2023

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण।

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रष्ठांकन- वा0क0अधि0/पूर्णपीठ/ 191 /2023 दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 इलाहाबाद, पीठ-झाँसी व पीठ-2 लखनऊ।
2. मुन्सरिम/ पेशकार/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
3. आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।